समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्षः 15 अंकः 22 भोपाल दि.–25.11.2018

(परिपत्र क्र. 61–63)

ईज़ ऑफ डूईंग एक्सपोर्ट बिजनेस पर कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 27.10.2018, नीमच

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन भोपाल, **व्यापारी संघ** नीमच, **फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन(FIEO)** इन्दौर, **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन(ECGC)** इन्दौर, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार** नई दिल्ली तथा **एयू स्माल फाइनेन्स बैंक** के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 27.10.2018 को नीमच में "Ease of Doing Export Business" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में **श्री कैलाश अग्रवाल** अध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने अपने स्वागत उद्‌बोधन में सभी अतिथियों/ विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के आयोजन के उद्‌देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्यात संबंधी विभिन्न जानकारियॉ पावर पाईन्ट प्रजन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई।

1. श्री राजेश भाटिया, निदेशक, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन(FIEO) इन्दौर,
2. श्री निलेश तिवारी, शाखा प्रबंधक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन(ECGC) इन्दौर,
3. श्री दीपक जोली जार्ज, स्पाईसेस बोर्ड, गुना
4. श्री प्रशांत मुदगल, शाखा प्रबंधक, एयू स्माल फाइनेन्स बैंक, नीमच
5. श्री रामनाथ सूर्यवंशी, कन्सल्टेन्ट, ग्लोबल फूडटेक कन्सलटेन्ट्स, इन्दौर।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के सचिव **श्री वीरेन्द्र कुमार पोरवाल** एवं व्यापारी संघ नीमच के सचिव **श्री नवल मित्तल** ने भी अपने विचार रखें।

* * * * *

: प्रधान सम्पादक : विपिन कुमार जैन

: सम्पादक : कैलाश अग्रवाल अजय नाहर सुनील कुमार गोठी

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

परिपत्र क्रमांक : 61

अनुसूची – अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

(दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00
अर्धकुशल	7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00
कुशल	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00
उच्चकुशल	9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	250.00	875.00	33.65	7375.00	283.65	284.00
अर्धकुशल	7057.00	271.42	1175.00	45.19	8232.00	316.65	317.00
कुशल	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
उच्चकुशल	9735.00	374.42	1175.00	45.19	10910.00	419.65	420.00

स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टुबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा। म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1–2013/अ–16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी–जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर सबंद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू होगी। म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.06.2015 को जारी गजट नोटीफिकेशन के आधार पर श्रमिकों के वर्गीकरण को अद्यतन किया गया है।

(3) इस प्रकार अधिसूचना न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नही की जावेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नही हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1–ए))

हस्ता/–

(राजेश बहुगुणा)

श्रमायुक्त,मध्यप्रदेश, इन्दौर

Ref: MPSSIO/42-A/2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 62

म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय सम्मति लेने तथा उसके नवीनीकरण के लिए लिये जाने वाले शुल्क में दिनांक 1 जुलाई 2018 से बड़ा बदलाव किया गया था। इस संबंध में पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 346 दिनांक 26 जून 2018 जारी की गई, जिसे हमने ''उद्यम प्रेरणा' के अंक 13 दिनांक 10.07.2018 में प्रकाशित किया था। जिसमें युक्ति युक्त कारण/संशोधन हेतु **म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन** तथा प्रदेश के अन्य औद्योगिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से तथा अपने–अपने स्तर सं प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे। उक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को संशोधित विज्ञप्ति का प्रकाशन किया है, जो हम आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नीचे उधृत कर रहे है।

पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्रं. एफ 5–5–09–बत्तीस.–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:–

संशोधन

उक्त नियमों में–

1. नियम–4 के खण्ड (पांच) में सारणी एक एवं सारणी दो को निम्नानुसार संशोधित सारणी एक व सारणी दो से प्रतिस्थापित किया जाता है.

सारणी–एक

क्र.	कुल विनिधान	प्रस्तावित शुल्क
(1)	(2)	(3)
1	रूपये 01 करोड़ से कम	5,000/–
2.	रूपये 01 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 03 करोड़ से कम	15,000/–
3.	रूपये 03 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 05 करोड़ से कम	40,000/–
4.	रूपये 05 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 10 करोड़ से कम	60,000/–
5.	रूपये 10 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 25 करोड़ से कम	75,000/–
6.	रूपये 25 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 50 करोड़ से कम	1,00,000/–
7.	रूपये 50 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 100 करोड़ से कम	2,00,000/–
8.	रूपये 100 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 200 करोड़ से कम	3,00,000/–
9.	रूपये 200 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 500 करोड़ से कम	5,00,000/–
10.	रूपये 500 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ से कम	15,00,000/–
11.	रूपये 1000 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 5000 करोड़ से कम	25,00,000/–
12.	रूपये 5000 करोड़ से अधिक	30,00,000/–

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्–पृथक् शुल्क देय होगा, सारणी एक में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

सारणी–दो

खदानों में स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 2,000/– प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्–पृथक् शुल्क देय होगा. सारणी दो में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

2. नियम–5 में उपनियम (पांच) (क) में सारणी चार एवं सारणी पांच को निम्नानुसार संशोधित सारणी चार व सारणी पांच से प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

सारणी–चार

क्र.	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
(1)	(2)	(3)
1	रूपये 01 करोड़ से कम	5,000/–
2.	रूपये 01 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 03 करोड़ से कम	10,000/–
3.	रूपये 03 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 05 करोड़ से कम	20,000/–
4.	रूपये 05 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 10 करोड़ से कम	30,000/–
5.	रूपये 10 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 25 करोड़ से कम	50,000/–
6.	रूपये 25 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 50 करोड़ से कम	75,000/–
7.	रूपये 50 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 100 करोड़ से कम	1,00,000/–
8.	रूपये 100 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 200 करोड़ से कम	2,00,000/–
9.	रूपये 200 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 500 करोड़ से कम	3,00,000/–
10.	रूपये 500 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ से कम	5,00,000/–
11.	रूपये 1000 करोड़ और उसे अधिक किन्तु रूपये 5000 करोड़ से कम	15,00,000/–
12.	रूपये 5000 करोड़ से अधिक	25,00,000/–

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्–पृथक् शुल्क देय होगा, सारणी चार में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

सारणी–पांच

खदानों से उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 1,000/– प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्–पृथक् शुल्क देय होगा. सारणी पांच में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे.

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क तालिका अन्तर्गत क्रम संख्या 5 पर वर्णित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अन्तर्गत पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु प्रशासकीय शुल्क की ऊपरी सीमा रूपये 5.00 लाख होगी.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैलाश बुन्देला,
उपसचिव.

Ref: MPSSIO/80/2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 63

जीएसटी के तहत पेनल्टी और सजा

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद एक पूर्ण वर्ष पारित किया गया है। लेकिन किसी भी कानून के प्रभावी अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए, उस अधिनियम के अनुपालन के परिणामों को प्रदान करना आवश्यक है। जीएसटी अधिनियम के तहत जुर्माना और मुकदमें से संबंधित प्रावधानों को रोकथाम के लिए कवर किया गया है ताकि जानबूझ कर कर चोरी से बचा जा सके और गैर–अनुपालन के कारण सरकार को नुकसान से क्षतिपूर्ति के लिए कर राजस्व प्राप्त किया जा सकें। धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने और कानून के पालन के लिए गंभीर आर्थिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए सक्रिय होने के लिए, ऐसे प्रावधानों को समझाना आवश्यक है।

जीएसटी अधिनियम के तहत अपराधः

अपराध और जुर्माना से संबंधित प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम के तहत अध्याय (धारा 122 से धारा 138) में शामिल है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 कुछ अपराधों के लिए प्रदान करती है। ये अपराध दंड के लिए उत्तरदायी है और कुछ अपराध अभियोजन पक्ष के लिए उत्तरदायी है। सीजीएसटी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अपराधों की सूची निम्नानुसार हैः

से संबंधित अपराध	**अपराध की प्रकृति**
पंजीकरण	कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद रजिस्टर करने में विफलता। असत्य जानकारी देना पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय या तो पंजीकरण विवरण बाद में।
बीजक	आपूर्ति के बगैर बीजक या साथ में असत्य गलत चालान बनाना। आपूर्ति किए बिना चालान जारी करना। जारी करने वाले बीजक या दस्तावेज पर अन्य व्यक्ति का GSTIN का उपयोग करना।
कर भुगतान	जुटाए हुए कर का भुगतान नहीं करना अवधि के भीतर अधिक तीन महीने जुटाए हुए कर का भुगतान नहीं करना में उल्लंघन का 3 महीने से अधिक अवधि के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी अधिनियम गैर कटौती या कम कटौती का कर कटौती स्त्रोत पर या नहीं जमा कर कटौती पर स्त्रोत धारा 51 के तहत; गैर–संग्रह या कम संग्रह या गैर धारा 52 के तहत स्त्रोत पर एकत्रित कर की चुकौती। कर चोरी को बढ़ावा देने वाले कारोबार को दबाने।
इनपुट कर क्रेडिट	माल और/ या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ/उपयोग करना; अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन मे इनपुट कर क्रेडिट का लाभ/वितरण।
धन की वापसी	धोखाधड़ी से किसी भी धन वापसी प्राप्त करना।
हिसाब किताब और दस्तावेज	असत्य जानकारी या असत्यकरण का आर्थिक अभिलेख या प्रस्तुत का उल्लू बनाना हिसाब किताव/ दस्तावेजों कर के भुगतान से बचने के इरादे से। अधिनियम में निर्दिष्ट तरीके से खातों/ दस्तावेजों को बनाए रखने में विफलता या अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के लिए खातों/ दस्तावेजों को बनाए रखने में विफलता। एक अधिकारी द्वारा आवश्यक जानकारी/नियम या प्रस्तुत झूठी सूचना/ दस्तावेजों के बिना माल परिवहन।
अन्य मामलों	अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी अधिकारी को रोकना या रोकना; किसी भी भौतिक साक्ष्य को छेड़छाड़ साथ में माल अधिनियम के तहत हिरासत जब्त/संलग्न

संज्ञेय और गैर – जमानती अपराधः

जीएसटी के तहत अपराधों को आगे संज्ञेय और गैर–जमानती अपराधों के साथ–साथ गैर–संज्ञेय और जमानती अपराधों में वर्गीकृत किया जाता है। इन शर्तों का सामान्य अर्थ निम्नानुसार हैः

संज्ञेय अपराध : एक मामला जिसमें विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार होता है।

गैर–संज्ञेय अपराध: एक मामला जिसमें विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

जमानती अपराध: अपराध जिसके लिए जमानत दी जा सकती है।

गैर–जमानती अपराध: जिन अपराधों के लिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं है, लेकिन जमानत अदालत के विवेकाधिकार पर दी जा सकती है।

निम्नलिखित अपराध जीएसटी के तहत संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है, यदि कर की सीमा समाप्त हो गई है, तो इनपुट कर क्रेडिट की राशि या धनवापसी की राशि 5 करोड़ रूपये से अधिक है

(1) बिल जारी किए बिना सामान या सेवओं या दोनों की आपूर्तिय
(2) माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना बिल या चालान जारी करना।
(3) आपूर्ति के बिना बिलों पर गलत इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाएं
(4) कर एकत्रित किया गया लेकिन सरकार को जमा नहीं किया गया।

अन्य सभी अपराध गैर–संज्ञेय और जमानती है।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, जहां आयुक्त के पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 13 (1) के खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट अपराध किया है जो धारा (i) के तहत दंडनीय है या (ii) धारा 132 के उपधारा (1) प्रदान करता है कि धारा 122 में उल्लिखित किसी भी अपराध को करने वाले किसी भी कर योग्य व्यक्ति को जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा जो निम्न से अधिक होगा.

(1) कर के बराबर राशि, धोखाधड़ी के रूप में प्राप्त की जाती है, क्रेडिट के रूप में ली जाती है या कटौती या एकत्र नहीं किया जाता है या कम कटौती या संक्षिप्त एकत्र किया जाता है या

(2) 10000/– की राशि।

कुछ मामलों में जुर्माना और कमी का छूट:

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, जहां किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है, कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से धनवापसी की गई है या जहां धोखाधड़ी या जानबूझकर गलतफहमी या टैक्स से बचने के तथ्यों के दमन के अलावा किसी अन्य कारण से इनपुट कर क्रेडिट का गलत इस्तेमाल किया गया है या उपयोग किया गया है और ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया गया है, यदि व्यक्ति ने शो कारण नोटिस जारी करने से निर्दिष्ट समय के भीतर कर, ब्याज और दंड का भुगतान किया है, तो कोई दंड देय नहीं होगा। इसी प्रकार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 धोखाधड़ी या जानबूझकर मलतफहमी के मामले में जुर्माना में कमी प्रदान करती है। इन प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

धारा 50 के तहत ब्याज के साथ बकाया भुगतान की तारीख	लागू जुर्माना की राशि	
	में मामला का धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतफहमी इत्यादि	अन्य मामलों में
शो कारण नोटिस जारी करने पहल	कर का 15 प्रतिशत	शून्य
शो कारण नोटिस जारी करने से 30 दिनों के भीतर	कर का 25 प्रतिशत	कोई नहीं, के सिवाय जहां आत्म मूल्याकन कर या कर एकत्रित किया गया है और देय तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया है (नियम 73 (11))
आदेश के संचार से 30 दिनों के भीतर	कर का 50 प्रतिशत	शून्य
30 दिनांक के बाद	10000/– या उससे अधिक के उच्चतम कर के 100 प्रतिशत देय (सेक्शन 122 (1) (ख)	उच्चतर का 10000/– या 10 प्रतिशत का कर कारण है। (धारा 122 (2) (क) तथा सेकंड 74 (क))

दंड से संबंधित सामान्य विषयोंः

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 126 जुर्माना लगाते समय सामान्य विषयों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट करती है। निम्नानुसार हैः

(1) शो कारण नोटिस जारी करने और मामले में उचित सुनवाई जारी किए बिना कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, उस व्यक्ति को सुनवाई का आरोप उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

(2) जुर्माना मामले की तथ्यों और परिस्थितियों की कुलता पर निर्भर है।

(3) जुर्माना लगाया गया कानून कानून के प्रावधानों या कथित नियमों के उल्लंघन की डिग्री और गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए।

(4) उल्लंघन की प्रकृति को दंड लगाने के आदेश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना है।

(5) कानून के प्रावधान जिसके तहत जुर्माना लगाया गया है, निर्दिष्ट किया जाना है।

इसके अलावा, किसी भी मामूली उल्लंघन (जहां टैक्स की राशि 5000/– से कम है) कर विनियमन या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए कोई विशेष जुर्माना लगाया जाना चाहिए और विशेष रूप से, दस्तावेजीकरण में कोई चूक या गलती जो आसानी से सुधार योग्य और बनाई गई है धोखेबाज इरादे या सकल लापरवाही के बिना।

इसके अलावा, जैसा कि धारा 126 (5) के तहत निर्धारित किया गया है, जहां कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उल्लंघन की खोज से पहले किसी अधिकारी को कर कानून, विनियमन या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के उल्लंघन की परिस्थितियों का खुलासा करता है, उचित अधिकारी तथ्य को कम करने के रूप में इस तथ्य पर विचार कर सकता है उस व्यक्ति के लिए योग्य दंड।

इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होते है, जहां एक निश्चित राशि के रूप में या निश्चित प्रतिशत के रूप में जुर्माना निर्दिष्ट किया जाता है।

अभियोजन पक्ष से संबंधित प्रावधानः

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 (1) में कुछ अपराधों के लिए अभियोजन पक्ष से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान निम्नानुसार हैः

कर चुकाने या इनपुट कर क्रेडिट गलत राशि की राशि लाभान्वित या उपयोग या धनवापसी की राशि गलत तरीके से ली गई	जुर्माना के साथ कारावास
5 करोड़ रूपये से अधिक	ठीक से 5 साल
2 करोड़ रूपये से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है	ठीक से 3 साल
1 करोड़ रूपये से अधिक है लेकिन 2 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है वित्तीय रिकॉर्ड को गत साबित करता है या फर्जी खाते बनाता है या रोकता है कोई अफसर से निर्वहन उनके कर्तव्यों या किसी भी भौतिक साक्ष्य या दस्तावेज को नष्ट कर देता है।	जुर्माना के साथ 1 साल 6 महीने या साथ में ठीक या दोनों
अपराध फिर से किया	दूसरे के लिए जुर्माना के साथ 5 साल तथा प्रत्येक आगामी अपमान

माल की जब्ती या हिरासतः

यदि कोई व्यक्ति चालान या बिल के बिना पारगमन या किसी भी सामान को स्टोर करता है, या किसी भी सामान को आपूर्ति या स्टोर करता है जिसे उसने अपनी किताबों में दर्ज नहीं किया है, तो ऐसे सामान किसी के साथ हिरासत या जब्त के लिए उत्तरदायी होंगे वाहन जिस पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जब मालिक आगे आता है, तो ऐसे सामान लागू कर और 10 प्रतिशत जुर्माना या 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे। छूट के सामान के मामले में, दंड माल के मूल्य का 2 प्रतिशत या 25000/– जो भी कम हो। जब निर्धारिती आगे नहीं आती है, तो दंड का लेवी इस तरह के सामान का मूल्य 50 प्रतिशत होगा और छूट के सामान मामले में ऐसे सामानों का मूल्य 5 प्रतिशत होगा।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 में रोकथाम, जब्त और माल की रिहाई और पारगमन में वाहन प्रदान किया जाता है, जबकि धारा 130 माल या वाहनों को जब्त करने और दंड लगाने के लिए प्रदान करता है। धारा 130 निर्धारित करता है कि सामान जब्त के लिए उत्तरदायी है, यदि कोई व्यक्ति।

अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी भी सामान की आपूर्ति या प्राप्त करता है अधिनियम के तहत आवश्यक तरीके से किसी भी सामान के लिए खाता नहीं है।

आपूर्ति सामान जो पंजीकरण के लिए आवेदन किए बिना अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी हैं।

सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में माल की गाड़ी के लिए परिवहन के साधन के रूप में किसी भी वाहन का उपयोग करता है।

कर के भुगतान को समाप्त करने के इरादे से अधिनियम/नियमों के किसी भी प्रावधान को रोकता है।

माल जब्त करने के मामले में, मालिक को जब्त के बदले जुर्माना लगाने का विकल्प दिया गया है। इस तरह के जुर्माना जब्त किए गए सामानों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा और यह ऐसे सामानों के संबंध में देय कर और अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा।

जब्त किए गए सामान लागू कर, दंड या जुर्माना के भुगतान पर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, यदि वाहन ई–वे बिल के बिना माल परिवहन कर रहा है, तो माल के साथ इस तरह के वाहन को हिरासत में लिया जा सकता है या जब्त कर लिया जा सकता है और केवल उचित कर और दंड के भुगतान पर ही जारी किया गाएगा। यदि मालिक जुर्माना और कर राशि का भुगतान करने के लिए आगे आता है, तो उसे देय कर का 100 प्रतिशत भुगतान करन होगा और यदि वह आगे नहीं आता है तो दंड माल के मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।

यहां एक उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि 07.03.2018 की अधिसूचना सं 12/2018 के तीसरे प्रावधान ने निर्दिष्ट किया है कि ''जहां सामान माल या व्यापार क्षेत्र के भीतर पचास किलोमीटर तक की दूरी के लिए मालवाहक के व्यवसाय की जगह से ले जाया जाता है आगे परिवहन, सप्लायर या प्राप्तकर्ता के लिए ट्रांसपोर्टर के करोबार की जगह या जैसा भी मामला हो, ट्रांसपोर्टर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01 के भाग बी में वाहन के विवरण प्रस्तुत नही कर सकता है। इसलिए केवल वाहन संख्या का उल्लेख नहीं है। ऐसी मामलों में ई–वे बिल के भाग–बी में माल की जब्त के लिए कारण नहीं हो सकती है। वीएसएल मिश्र धातु (भारत) प्राइवेट के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और दूसरे ने कहां कि जहां निर्धारिती को ई–वे बिल के भाग–बी को दर्ज नहीं करना है और जहां सभी दस्तावेजों के सामान के साथ है, केवल वाहन संख्या का उल्लेख नहीं है। ई–वे बिल के भाग–बी में माल की जब्त के लिए कारण नहीं हो सकती है।

लेकिन जुर्माना के भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अपराध को कम्पाउन्ड करने का अधिकार आयुक्त ने अपराध को कम्पाउण्ड के लिए जीएसटी के तहत अधिकार दिये है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 138 निर्दिष्ट करती है कि यौगिक राशि उस समय या अभियोजन से पहले राशि के भुगतान पर किया जा सकता है। केवल कर, ब्याज और जुर्माना के भुगतान के बाद अपराध की कम्पाउण्ड की अनुमति हैं कपाउंडिंग की मात्रा के लिए निचली सीमा 10000/– है या कर का 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो और ऊपरी सीमा 30000/– या कर का 150 प्रतिशत जो भी अधिक हो। कंपाउंडिंग राशि के भुगतान पर, अधिनियम के तहत कोई और कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और अपराधिक आय समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित मामलों में, जीएसटी के तहत कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(1) खंड (ए) से (एफ) और (i) और धारा 132 (1) के खंड (जी), (जे) और (के) में वर्णित अपराध के संबंध में दूसरी बार परिसंचरण की अनुमति नहीं है।

(2) धारा 132 (1) के अन्य खंडों के संबंध में दूसरी बार कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं है यदि आपूर्ति का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है।

(3) जीएसटी के तहत अपमानित अपराध किसी भी अन्य कानून के तहत अपराध है तो कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं है।

(4) एक व्यक्ति जिसने अदालत द्वारा जीएसटी अधिनियम के तहत दोषी पाया है।

* * * * *

Source: Commerical Taxes View, Badmer
Vol: 35, Issue: 415 Nov. 2018

Ref: MPSSIO/23/2018-19/

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4296168 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in